

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक 394/स्था.सैट/2018

जबलपुर, दिनांक 1/11/2018

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (सैट) की स्थापना के निम्नलिखित भृत्य/लाइब्रेरी अटेन्डेंट की पदोन्नति दफ्तरी/रिकार्ड सप्लायर के रिक्त पद पर वेतनबैंड-1 एस रु. 4440-7440 + ग्रेड पे रु. 1400/- (7 वें वेतनमान में लेवल 2 पे मेट्रीक्स 16100-50900) में, पदोन्नति अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, कॉलम नं. 3 पर दर्शाई गई स्थापना पर पदस्थ किया जाता है।

क्र.	नाम एवं स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान	टीप
1	3	4	5
1	श्री धन बहादुर थापा, भृत्य खण्डपीठ इन्दौर	खण्डपीठ इन्दौर	रिक्त पद पर
2	श्री अमृत लाल बडोनिया, लाइब्रेरी अटेन्डेंट खण्डपीठ इन्दौर	मुख्यपीठ- जबलपुर	रिक्त पद पर

**माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार**

Sd/-

(अरविन्द कुमार शुक्ला)

रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक 395/स्था0सैट/2018

जबलपुर, दिनांक 1/11/2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.),
2. प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर, (म.प्र.),
3. रजिस्ट्रार प्रशासन/न्यायिक 1 एवं 2/डी. ई./व्ही.एल./ई/पी.पी.एस. एकजाम एवं लेबर ज्युयडीशियरी, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. रजिस्ट्रार आई.टी. उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर की ओर आदेश की प्रतिलिपि उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की बेबसाइट पर अपलोड करवाने हेतु
5. बजट अधिकारी/लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. ज्वाइंट रजिस्ट्रार, (प्रोटोकाल) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,

7. डिप्टी रजिस्ट्रार स्थापना/न्यायिक 1 एवं 2, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
8. कोषालय अधिकारी, जबलपुर/इंदौर
9. असिस्टेंट रजिस्ट्रार, स्थापना उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय म.प्र., (सैट) जबलपुर।
11. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
12. प्रिन्सीपल रजिस्ट्रार न्यायिक/निरीक्षण एवं सतर्कता/(आई.एल.आर. एवं परीक्षा)/(परीक्षा एवं ट्रेनिंग) महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
13. सहायक स्थापना/लेखा, उच्च न्यायालय म.प्र., (सैट) जबलपुर/खण्डपीठ इंदौर।
14. श्री धन बहादुर थापा, भृत्य एवं श्री अमृत लाल बडोनिया, लाइब्रेरी अटेन्डेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इंदौर को इस निर्देश के साथ कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर पदोन्नत पदस्थापना पर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करें। निर्धारित समयावधि में कार्यभार ग्रहण न करने अथवा असहमति व्यक्त करने पर उनकी पदोन्नति स्वयंमेव निरस्त मानी जावेगी एवं भविष्य में उनकी वर्तमान पदस्थापना पर पद रिक्त होने पर उनकी पदोन्नति पर विचार किया जावेगा।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(सतीश चंद्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)